भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2038
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कलासा-भांडुरा पेयजल आपूर्ति परियोजना

†2038. श्री जगदीश शट्टरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ शहरों और कुंडगोल नगर तथा इसके आस-पास के गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए महादायी बेसिन से 3.90 टीएमसी जल मालाप्रभा नदी में भेजने का प्रावधान करने वाली कलासा-भांडुरा पेयजल आपूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या अन्य केंद्रीय मंत्रालयों से अभी भी कोई स्वीकृति मिलनी बाकी है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। इस प्रकार, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कलासा-भांडुरा पेयजल योजना के कार्यान्वयन की स्थिति **संलग्न** है।

अन्य मंत्रालयों/विभागों से मिलने वाली लंबित स्वीकृतियों का ब्यौरा केन्द्रीय जल आयोग के पास उपलब्ध नहीं है।

****

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2038 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

"कलासा-भांडुरा पेयजल योजना के कार्यान्वयन की स्थिति"

1. "महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण" (एमडब्ल्यूडीटी) ने 14.08.2018 को निर्णय सुनाया है और 27.02.2020 को राजपत्रित किया है। अधिकरण ने हुबली-धारवाड़ जुड़वां शहरों, कुंडागोल शहर और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के पेयजल के उद्देश्य के लिए महादयी बेसिन से मालाप्रभा नदी में डायवर्जन के लिए 3.90 टीएमसी पानी आवंटित किया, जिसमें कलासा नाला से 1.72 टीएमसी पानी और भांडुरा नाला से 2.18 टीएमसी पानी शामिल है।
2. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से कलासा और भांडुरा नाला डायवर्जन योजनाओं (लिफ्ट स्कीमों) की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति दी, जो कानून द्वारा आवश्यक सभी अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने के अध्याधीन है।
3. जल शक्ति मंत्रालय ने महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 22.05.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से महादयी प्रवाह (कल्याण और सद्भाव के लिए प्रगतिशील नदी प्राधिकरण) के गठन के लिए एक योजना तैयार की है।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन/वन्यजीव स्वीकृति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

(क) कलासा नाला डायवर्जन योजना (लिफ्ट स्कीम):

i. परिवेश पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कलासा नाला डायवर्जन परियोजना के वन स्वीकृति प्रस्ताव को प्रस्तुत करने पर, जिसमें 26.925 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल है, क्षेत्रीय अधिकार-प्राप्त समिति, आईआरओ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बैंगलोर ने कलासा परियोजना से गुजरने वाले बाघ कॉरिडोर के लिए, जो लगभग 10685 हेक्टेयर (26925 हेक्टेयर वन भूमि में से) है, दिनांक 20.01.2023 के माध्यम से कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति से वन्यजीव स्वीकृति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।

ii. इसके अलावा, वन्यजीव स्वीकृति प्रस्ताव 31.05.2023 को परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। कलासा वन्यजीव मंजूरी प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और एनबीडब्ल्यूएल को इसके लिए अनुमोदन की सिफारिश की गई थी।

iii. बदले में, एनबीडब्ल्यूएल ने प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ कॉरिडोर प्राधिकरण (एनटीसीए) को भेजा और एनटीसीए द्वारा 29.11.2023 को स्थल मूल्यांकन के लिए एक टीम का गठन किया गया। एनटीसीए की टीम ने 08.01.2024 को प्रस्तावित कलासा परियोजना का कारण स्थल मूल्यांकन किया और कर्नाटक के पक्ष में एक सिफारिश के साथ 23.01.2024 को एनटीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है:

> "परियोजना से जुड़े बड़े लाभों (जैसे कि गर्मियों की अवधि के दौरान वन्यजीवों को पानी की उपलब्धता और भूजल पुनर्भरण) को ध्यान में रखते हुए, समिति की राय है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 (1) (जी) के तहत परियोजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की जा सकती है।

लेकिन, एनटीसीए ने उल्लेख किया है कि यह मामला न्यायाधीन है क्योंकि वर्तमान में मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

iv. 30.01.2024 को आयोजित एससी-एनबीडब्ल्यूएल की 77वीं बैठक में, स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-O(1)(जी) के अनुसार एनटीसीए से प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ मांगी जाएंगी। तदनुसार, प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया और 31.07.2024 को आयोजित एससी-एनबीडब्ल्यूएल बैठक के दौरान प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया गया।

v. इसके अलावा, 09.10.2024 को आयोजित एससी-एनबीडब्ल्यूएल की 80वीं बैठक के दौरान, स्थायी समिति ने परियोजना से संबंधित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति के साथ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आवश्यक दस्तावेज अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग कर्नाटक द्वारा एडीजी (वन्यजीव), सदस्य सचिव एनबीडब्ल्यूएल, नई दिल्ली को दिनांक: 10.10.2024 और 15.10.2024 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) भांडुरा नाला डायवर्जन योजना (लिफ्ट स्कीम):

i. भांडुरा नाला डायवर्जन परियोजना के लिए वन स्वीकृति प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय अधिकार-प्राप्त समिति, आईआरओ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बैंगलोर के निर्देश के अनुसार 28.4427 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल है।

ii. क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, आईआरओ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बैंगलोर ने परिवेश पोर्टल (ईडीएस-क्वेरीज) दिनांक 25.08.2024 के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी है। इसके अलावा, ईडीएस-क्वेरीज के लिए जानकारी/अनुपालन परिवेश पोर्टल के माध्यम से 26.11.2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

***